HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1518/2026

Pradeep Baigad S/o Ramesh, Aged About 21 Years, R/o Street No 5 Jyoti Nagar Chandna Bhakhar Jodhpur Rajasthan. (At Present Lodged In Central Jail, Jodhpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Navneet Singh Birkh
For Respondent(s)	:	Mr. Pawan Kumar Bhati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

26/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना प्रतापनगर (जोधपुर सिटी पश्चिम), जिला जोधपुर सिटी पश्चिम** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 05/2026** अपराध अन्तर्गत **धारा 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25, 27 आर्म्स एक्ट** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट है कि इस मामले में मजरूब आकाश के खिलाफ प्रार्थी/अभियुक्त के भाई द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस प्रकार पक्षकारान के मध्य पूर्व में रंजिश रही है। मामले में मजरूब आकाश के पैर में गोली की चोट पाई गई है, जो कि प्राणघातक नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 03.01.2026 को गिरफ्तार किया गया था, तब से न्यायिक अभिरक्षा में

चल रहा है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध किया तथा व्यक्त किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ मारपीट के तीन अन्य आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया जावें।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ आरोप है कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ आरोप है कि उसने मजरूब आकाश की हत्या करने का प्रयास किया है, किंतु मजरूब के शरीर में जो चोट कारित होना पाई गई है, वह प्राणघातक नहीं है। उसके पैर में गोली की चोट आई है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 03.01.2026 को गिरफ्तार किया गया था, तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **प्रदीप बैगड़ पुत्र रमेश** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 05/2026 पुलिस थाना प्रतापनगर**

(जोधपुर सिटी पश्चिम), जिला जोधपुर सिटी पश्चिम में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपए मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **50,000–50,000/– (अक्षरे पचास–पचास हजार रूपए मात्र)** की तस्दीकशुदा दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

49-sandeepJ/-